POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 20.03.2026

थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से छिनैती का 01 मोबाइल फोन बरामद

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त फूलपुर के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-10/26 धारा-304(2) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनिल कुमार उर्फ ललऊ पुत्र राज देव भारतीया निवासी चंदौहा थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना फूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-20.03.2026 को थाना फूलपुर क्षेत्रान्तर्गत चिरौड़ा मोड़ के पास से मुकदमा उपरोक्त में छिनैती का 01 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा-317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक-05.01.2026 को वादी मुकदमा को डरा-धमका कर उसका मोबाइल फोन जबरन छीन

लिया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-10/2026 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनिल कुमार उर्फ ललऊ पुत्र राज देव भारतीया निवासी चंदौहा थाना सरायइनायत कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 22 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-10/26 धारा-304(2) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-317(2) भा0न्या0सं0 थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

बरामदगी का विवरण-

01 मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 मंगला सिंह यादव, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 सूर्य प्रकाश सिंह, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. हे0का0 ओम प्रकाश यादव, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. हे0का0 राम दवर सरोज, थाना फूलपुर कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त व अपर

पुलिस उपायुक्त गंगानगर के पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त हण्डिया के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना हण्डिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-337/2025 धारा-131/115(2)/352/351(2)/109(1) भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुकेश गौतम उर्फ मुकेश वर्मा पुत्र स्व0 बृजलाल उर्फ बिरजू निवासी ग्राम वीरापूर धोबहा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना हण्डिया पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-20.03.2026 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत बीरापूर हीन्गूनगर तिराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर दिनांक-08.06.2025 को थाना हण्डिया क्षेत्रान्तर्गत हिंगुनगर बाजार में वादी मुकमदा की चाय की दुकान में घुसकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से वादी मुकदमा के ऊपर चाकू से हमला किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना हण्डिया पर मु0अ0सं-337/2025 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पूर्व में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुकेश गौतम उर्फ मुकेश वर्मा पुत्र स्व0 बृजलाल उर्फ बिरजू निवासी ग्राम वीरापूर धोबहा थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 21 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-337/2025 धारा-131/115(2)/352/351(2)/109(1) भा0न्या0सं0 थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक नितेन्द्र कुमार शुक्ला, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. हे0का0 संजय यादव, थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

एसओजी/सर्विलांस सेल व थाना माण्डा की संयुक्त पुलिस टीमों द्वारा थाना माण्डा क्षेत्रान्तर्गत सराय कला में घटित बच्चे के अपहरण की घटना में प्रकाश में आये 04 अभियुक्त गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन व कब्जे से 04 मोबाइल फोन बरामद

एसओजी/सर्विलांस सेल व थाना माण्डा की संयुक्त पुलिस टीमों द्वारा थाना माण्डा क्षेत्रान्तर्गत सराय कला में 06 वर्षीय बच्चे के अपहरण की घटना से संबंधित मु0अ0सं0 47/2026 धारा 137(2)/140(2)/61(2) बीएनएस में प्रकाश में आये 04 अभियुक्त 1. उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा पुत्र तरूण शर्मा नि0 सरांयकला थाना माण्डा जनपद प्रयागराज 2. राजकुमार पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय नि0 नीबी भिटान थाना मेजा जनपद प्रयागराज, 3. आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू पुत्र राजेश प्रधान नि0 रौजा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, 4. नितीश कुमार पुत्र पुत्र शिवनारायण नि0 छब्बी जनपद बलिया को आज दिनांक-20.03.2026 को गिरफ्तार किया गया । निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 चार पहिया वाहन 1.अमेज रजि0सं0-UP70EM5222 2. ऑल्टो कार (जिस पर P66J0 लिखा है) तथा कब्जे से 04 मोबाइल फोन बरामद किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी आरती शर्मा पत्नी ओमप्रकाश शर्मा निवासी सराय कला अछोला थाना मांडा जनपद प्रयागराज द्वारा थाना स्थानीय पर दी गई तहरीर बावत दिनांक 07.03.2026 को दो अज्ञात कार सवार व्यक्तियों द्वारा मेरे पुत्र प्रतीक शर्मा उम्र करीब 06 वर्ष (जो अपने स्कूल से घर वापस आ रहा था) को घर के पास से ही उठा कर गाड़ी में बैठा कर ले जाने के संबंध में दिनांक-07.03.2026 को ही थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 47/2026 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अपहृत बच्चे की बरामदगी व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तीनो जोन व सेन्ट्रल, एसओजी/सर्विलांस सेल व थाना माण्डा की संयुक्त पुलिस टीम समेत कुल 08 टीमों का गठन

किया गया । जिनके द्वारा दिनांक 08.03.2026 को अपहृत बच्चे प्रतीक शर्मा उपरोक्त को वाराणसी से लगभग 28 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर उसके परिजन के सुपुर्द कर दिया गया था। घटनास्थल से संकलित किये गये समस्त तकनिकी व भौतिक साक्ष्यों के अवलोकन से घटना में प्राप्त तथ्यों के अनुसार घटना कारित करने में अभियुक्तगण 1. उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा पुत्र तरूण शर्मा उपरोक्त 2.राजकुमार पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय उपरोक्त 3. आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू पुत्र राजेश प्रधान उपरोक्त 4. नितीश कुमार पुत्र पुत्र उपरोक्त व उनके एक 01 अन्य साथी का नाम प्रकाश में आया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु संयुक्त पुलिस टीमों के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.03.2026 को अभियुक्तगण 1. उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा उपरोक्त, 2. राजकुमार पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय उपरोक्त 3. आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू पुत्र राजेश प्रधान उपरोक्त 4. नितीश कुमार पुत्र शिवनारायण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के कब्जे से 04 मोबाइल फोन तथा अभियुक्त नितीश कुमार उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन अमेज रजि0सं0-UP70EM5222 व अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन ऑल्टो (जिस पर P66J0 लिखा है) को थाना माण्डा क्षेत्र के महेवाघाट के पास जंगल से बरामद किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 140(2)/61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ पर जानकारी हुई कि अभियुक्त उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा उपरोक्त रिश्ते में अपहृत प्रतीक शर्मा के पिता का चचेरा भाई है। अभियुक्त आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू उपरोक्त, अभियुक्त उज्जवल शर्मा का रिश्तेदार(मौसेरा भाई) है। उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा उपरोक्त द्वारा आशुतोष प्रधान को पैसे दिये गये थे, जब उज्जवल ने आशुतोष प्रधान से अपने पैसे मांगे तो उसने बताया कि मैने जिसको पैसे दिये थे वह खत्म हो गया है। अब कहीं और से पैसों का इंतेजाम करना पड़ेगा। जिसके उपरांत उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा द्वारा आशुतोष प्रधान को बताया गया कि मेरे चचरे भाई ओमप्रकाश का इकलौता बेटा है, उसे पूरा परिवार चाहता है। ओमप्रकाश ने अभी अपनी ससुराल में जमीन खरीदी है, उसके पास

अभी बहुत पैसा हो सकता है, अगर इसका अपहरण कर फिरौती मांगी जाए तो आराम से 20-30 लाख रूपये मिल सकते हैं। आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू द्वारा अपने मित्रों प्रशान्त राय पुत्र अनिल राय व नितीश कुमार को अपने प्लान में शामिल किया गया। इसके बाद उज्जवल शर्मा द्वारा राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय उपरोक्त से बात की और बताया कि तुम्हें पैसों की जरुरत हैं, मै और मेरे साथी एक बच्चे का अपहरण करने वाले हैं, तुम्हें बस गाड़ी चलानी है, इसके बदले तुम्हें रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद और काम भी मिलेगा। इसके बाद उज्जवल के बताने पर दिनांक 06.03.2026 को राजकुमार गाजीपुर जाकर प्रशान्त राय से घटना के लिये प्रयोग की जाने वाली गाड़ी को लेकर आया और दिनांक 07.03.2026 को आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू दिघिया तिराहे पर मिला। आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशु द्वारा घटना के समय अपना मोबाइल फोन रामनगर वाराणसी में छोड़ दिया गया था, इसके बाद आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू और राजकुमार, सरांयकला गांव बच्चे के घर के पास पहुंचा। योजना के अनुसार राजकुमार गाड़ी चला रहा था और हिमांशू मास्क लगा कर गाड़ी में बैठा था, जैसे ही बच्चा अपनी स्कूल वैन से उतरा आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू ने तुरंत बच्चे को उठाकर गाड़ी में बैठा लिया और कहा बेटा हम मामा हैं, और तुम्हारी मम्मी तुम्हें मामा के घर बुलायी हैं, गाड़ी से चलना है। इसके बाद हम लोग पीपा पुल पार करते हुए भदोही होते हुए बनारस के लिये चले। सैय्यद रजा मोड़ चंदौली के पास पुहंच कर योजना के तहत अभियुक्त प्रशान्त राय, नितीश कुमार के साथ अपनी अमेज गाड़ी से मोड़ पर ख़ड़ा मिला। वहां आशुतोष प्रधान बच्चे को लेकर प्रशान्त राय की अमेज गाड़ी में बैठ गया और राजकुमार से फिरौती का पैसा मिल जाने के बाद मिलने को कह कर चले गये। राजकुमार द्वारा वापस गाडी को लाकर महेवाघाट के पास जंगल में छिपा दिया गया, अभियुक्तगण प्रशान्त राय, आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशु व नितीश कुमार बच्चे को लेकर रामनगर वाराणसी, आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू के ससुराल वाले खाली मकान में गये। अभियुक्त उज्जवल शर्मा द्वारा व्हाट्सअप पर स्टेटस के माध्यम से पुलिस की गतिविधियों व घटनास्थल के आस पास के माहौल से अपहरणकर्ताओं तक लगातार सूचना पहुंचाई जा रही थी। जिससे अपहरणकर्ताओं को जानकारी हो गयी थी कि पुलिस टीम उन लोगों का पीछा करते करते बनारस तक उनके नजदीक आ गयी है, इसके बाद अभियुक्त आशुतोष प्रधान द्वारा अभियुक्त उज्जवल उर्फ विवेक शर्मा से बच्चे की माँ का नम्बर लिया और एक पर्ची पर लिख कर बच्चे को प्रकाश पैलेस गेस्ट हाउस

(मैरिज होम) के पास छोड़ कर बच्चे को गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को पर्ची देने के लिये कहा और वहां से निकल गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. उज्जवल शर्मा उर्फ विवेक शर्मा पुत्र तरूण शर्मा नि0 सरांयकला थाना माण्डा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 26 वर्ष।
2. राजकुमार पाण्डेय पुत्र ओमप्रकाश पाण्डेय नि0 नीबी भिटान थाना मेजा जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 38 वर्ष।
3. आशुतोष प्रधान उर्फ हिमांशू पुत्र राजेश प्रधान नि0 रौजा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर, उम्र करीब 28 वर्ष।
4. नितीश कुमार पुत्र पुत्र शिवनारायण नि0 छब्बी जनपद बलिया, उम्र करीब 26 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 47/2026 धारा 137(2)/140(2)/61(2) बीएनएस थाना माण्डा कमिश्नरेट प्रयागराज

बरामदगी का विवरण-

1. अमेज कार रजि0सं0- UP70EM5222 (निशांदेही पर)
2. ऑल्टो कार (जिस पर P66J0 लिखा है) (निशांदेही पर)
3. 04 मोबाइल फोन (कब्जे से)

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

एसओजी यमुनानगर जोन टीम-

1. उ0नि0 नवीन कुमार सिंह (प्रभारी)
2. का0 रंजीत यादव
3. का0 दीपक सिंह
4. का0 शशिकांत

5. का0 अजय सिंह
6. का0 जसवीर सिंह
7. का0 मनोज कुमार यादव

सर्विलांस सेल यमुनानगर जोन टीम-

1. उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव (प्रभारी)
2. का0 रवि कुमार यादव
3. का0 अजय सिंह

थाना माण्डा पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार वर्मा
2. उ0नि0 चन्द्रपाल सिंह
3. उ0नि0 विक्की कुमार गुप्ता
4. उ0नि0 आमिर खान उस्मानी
5. का0 अंकित यादव
6. का0 विकाश यादव
7. का0 दीप कुमार
8. का0 विमलेश कुमार मौर्या

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा दिनांक-19.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) प्रयागराज द्वारा निर्गत वाद सं0-160/14 ,मु0अ0सं0-425/03 धारा 135/379 भादवि से सम्बन्धित 01 वारण्टी अभियुक्त विजेन्द्र कुमार पुत्र जवाहर लाल निवासी

महेवा पुरब पट्टी थाना नैनी प्रयागराज को महेवा पुरब पट्टी थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण-

विजेन्द्र कुमार पुत्र जवाहर लाल निवासी महेवा पुरब पट्टी थाना नैनी प्रयागराज, उम्र करीब 51 वर्ष

संबंधित वारण्ट का विवरण-

वाद सं0-160/14 ,मु0अ0सं0-425/03 धारा 135/379 भादवि, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट) प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
2. उ0नि0 धर्मवीर सिंह, थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।
3. का0 जैकम सिंह थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।

हत्या के प्रयास के अभियोग से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्त थाना मुट्ठीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार

थाना मुट्ठीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय के पंजीकृत मु0अ0सं0- 27/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बी0एन0एस0 के वांछित अभियुक्तों 1. संदीप कनौजिया उर्फ संदीप धोबी पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र कनौजिया उर्फ रमेश धोबी निवासी दारागंज कच्ची सड़क मकान सं0- 315 थाना दारागंज जनपद प्रयागराज, 2. आकाश आरोड़ा उर्फ भोला पंजाबी पुत्र स्व0 मंजित अरोड़ा निवासी 874 मालवीय नगर सत्तीचौरा थाना मुट्ठीगंज प्रयागराज को आज दिनांक 20.03.2026 को ककहरा घाट मीरापुर थाना क्षेत्र अतरसुइया से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा सक्षम शर्मा पुत्र ज्ञान बाबू निवासी 304/273 मालवीय नगर थाना मुट्ठीगंज जनपद प्रयागराज द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा उनके तथा उनके मित्र के साथ मारपीट की गयी तथा उनके ऊपर फायर कर घायल कर दिया गया । उक्त सूचना पर थाना मुट्ठीगंज पुलिस द्वारा घायलो को उपचार हेतु तत्काल अस्पताल भिजवाया गया तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमो का गठन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण -

1. संदीप कनौजिया उर्फ संदीप धोबी पुत्र स्व0 रमेश चन्द्र कनौजिया उर्फ रमेश धोबी निवासी दारागंज कच्ची संडक मकान सं0 315 थाना दारागंज जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष।
2. आकाश आरोड़ा उर्फ भोला पंजाबी पुत्र स्व0 मंजित अरोड़ा निवासी 874 मालवीय नगर सत्तीचौरा थाना मुट्ठीगंज प्रयागराज, उम्र करीब 23 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 27/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस थाना मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, थाना प्रभारी मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2.उ0नि0 राहुल कुमार सिंह, थाना मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3.उ0नि0 विकास चौधरी, थाना मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
4.उ0नि0 अभिषेक वर्मा, थाना मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
5.उ0नि0 सौम्यपुंज पाण्डेय, थाना मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज।
6.का0 यशवंत सिंह, थाना मुट्ठीगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।